समस्त पत्र–व्यवहार रजिस्ट्रार लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं

पत्र संख्या :....................प्रवेश अनुभाग

दिनांक :....................2017

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय,
प्रबन्धक/प्राचार्य, समस्त सहयुक्त महाविद्यालय,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विषयः– एच0आई0वी0 ग्रस्त/एड्स पीड़ित बच्चों के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या–147/2014 नाज फाउन्डेशन (इण्डिया) ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.05.2017 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया संलग्न पत्र विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 18.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त रिट याचिका मा0 सर्वोच्च न्यायालय में इस अनुतोष के साथ योजित की गयी थी कि एच0आई0वी0 ग्रस्त/एड्स पीड़ित बच्चों को सरकारी अथवा गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से रोका न जाय ऐसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित बच्चों को एच0आई0वी0 ग्रस्त होने के आधार पर निकाला न जाय, ऐसे एच0आई0वी0 ग्रस्त बच्चों के लिये अलग से स्कूल न खोले जाय तथा आर0टी0आई0 अधिनियम, 2009 की धारा–2(डी) के अन्तर्गत एच0आई0वी0 ग्रस्त बच्चों को 'सुविधाहीन बच्चों' की श्रेणी में रखे जाने के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश पर अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उपकुलसचिव(प्रवेश)

संख्या –AD-45624-704 दिनांक :19/08/2017

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सचिव, कुलपति मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2–वैयक्तिक सहायक, प्रतिकुलपति मा0 प्रतिकुलपति जी के अवलोनार्थ।
3–इन्चार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करने व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उपकुलसचिव(प्रवेश)

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश/अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-रिट-46/सत्तर-2-2017-18(30)/2017

OFFICE OF THE REGISTRAR UNIVERSITY OF LUCKNOW
2259
22 JUL 2017

OFFICE OF THE REGISTRAR LUCKNOW UNIVERSITY
114
22/7/17

प्रेषक,

मधु जोशी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 — लखनऊः दिनांकः 18 जुलाई, 2017

विषयः- एच0आई0वी0 ग्रस्त/एड्स पीड़ित बच्चों के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-147/2014 नाज फाउन्डेशन (इण्डिया) ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05-05-2017 का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, पीआईएल (रिट) सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-डी0नं0-919/2014 एससी/पीआईएल (डब्ल्यू) दिनांक 12-05-2017 व रिट याचिका (सिविल) संख्या-147/2014 नाज फाउन्डेशन (इण्डिया) ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05-05-2017 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए अवगत कराना है कि उक्त रिट याचिका मा0 सर्वोच्च न्यायालय में इस अनुतोष के साथ योजित की गयी थी कि एच0आई0वी0 ग्रस्त/एड्स पीड़ित बच्चों को सरकारी अथवा गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से रोका न जाय, ऐसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित बच्चों को एच0आई0वी0 ग्रस्त होने के आधार पर निकाला न जाय, ऐसे एच0आई0वी0 ग्रस्त बच्चों के लिये अलग से स्कूल न खोला जाय तथा आर0टी0आई0 अधिनियम, 2009 की धारा-2(डी) के अन्तर्गत एच0आई0वी0 ग्रस्त बच्चों को 'सुविधाहीन बच्चों' की श्रेणी में रखे जाने के निर्देश जारी किये जाये।

3- रिट याचिका (सिविल) संख्या-147/2014 नाज फाउन्डेशन (इण्डिया) ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05-05-2017 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

> We are therefore satisfied, that all the state Governments are agreeable to issue a notification, declaring children living with or affected by HIV, fall in the category of disadvantaged children, under Section 2(d) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 We are of the view, that some of the State Governments, other than 11 States and one Union Territory, which had not issued such notification (in furtherance of the motion Bench order dated 31.03.2017) may have issued the same in the interregnum. In the absence of any objection, we direct all other State Governments and Union Territories to issue the necessary notification, within eight weeks from today.

Draft 2017

With the aforesaid direction, we are satisfied, that all the prayers raised in the instant writ petition, are takan care of.

The instant writ petition is disposed of in the above terms.

4– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों में तथा सभी विश्वविद्यालयों में एच0आई0वी0 ग्रस्त/एड्स पीड़ित बच्चों के प्रवेश आदि के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या–147/2014 नाज फाउन्डेशन (इण्डिया) ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05–05–2017 का अनुपालन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

मधु जोशी

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

संख्या–रिट–46(1)/सत्तर–2–2017–तददिनांक

प्रतिलिपि उच्च शिक्षा अनुभाग–1 एवं 5 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–05–2017 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(डा0 ध्रुव पाल)
अनु सचिव।